# नकली खाद-बीज पर शिकंजा : कृषि मंत्री ने कानोता के हीरावाला की फैक्ट्री पर मारा छापा

## रीको क्षेत्र में कार्रवाई से हड़कंप मचा, जब्त नमूने जांच के लिए भेजे

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर।** प्रदेश में नकली खाद और बीज के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को जयपुर के कानोता क्षेत्र स्थित हीरावाला रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 'जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स' इकाई पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। मंत्री के अचानक पहुंचने

- **मंत्री किरोड़ीलाल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी**

से फैक्ट्री संचालकों और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद कृषि विभाग ने नमूने जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जैविक उर्वरक का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के विपरीत किया जा रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार जैविक खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री में खाद 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तैयार की जा रही थी।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को कानोता क्षेत्र स्थित हीरावाला रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 'जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स' इकाई पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की।

अधिकारियों के अनुसार इतने अधिक तापमान पर लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

जांच में लेबलिंग से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया। दानेदार जैविक उर्वरक की सामान्य शेल्फ लाइफ छह माह होती है, जबकि उत्पाद के पैकेटों पर 24 माह तक उपयोग योग्य होने का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा कच्चे माल के भंडारण और रख-रखाव में भी गंभीर लापरवाही पाई गई। गोदाम में रखे कच्चे माल पर पहचान संबंधी आवश्यक लेबल नहीं लगे थे, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 19 का उल्लंघन माना गया है।मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने स्वयं फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और कई सीलबंद कट्टों को खुलवाकर खाद की गुणवत्ता की जांच की। विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न उत्पादों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेज दिए हैं। साथ ही फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मौजूद खाद और बीज के स्टॉक की भी जांच की जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली खाद और घटिया बीज बेचने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं की मेहनत की कमाई से धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि नमूने अमानक या नकली पाए गए तो संबंधित फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।उल्लेखनीय है कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले भी सीकर के रीको क्षेत्र स्थित श्री बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज, जोधपुर की विभिन्न खाद-बीज निर्माण इकाइयों तथा बोरानाडा स्थित बालाजी मूंगफली फैक्ट्री सहित कई प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण और छापामार कार्रवाई कर चुके हैं। कृषि विभाग का कहना है कि प्रदेशभर में गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराने तथा नकली कृषि उत्पादों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

# वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से औद्योगिक विकास फास्ट्रैक पर

## सीकर, रींगस, फुलेरा, ब्यावर और सिरोही से गुजर रहे कॉरिडोर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर ।** वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के माध्यम से देश-प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से फास्ट्रेक पर दौड़ हो रहा है। कॉरिडोर में विशेषकर रेल-पर-ट्रक की सेवा से माल का आवागमन अधिक तेज और सुगम बना है। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी तक फैले इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लम्बाई 1506 किमी. एवं लागत 1.24 लाख हजार करोड़ रुपये से अधिक है। कॉरिडोर का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। यह कॉरिडोर राजस्थान को भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों तक बेहतर संपर्क प्रदान करता है। कॉरिडोर के अंतर्गत जेएनपीटी से न्यू सफाले (वेतरणा) सेक्शन पर हाल ही में सफलतापूर्वक ट्रायल रन हो चुका है। इस कॉरिडोर का काम पूर्ण हो चुका है। कई सेक्शन में माल परिवहन पहले से ही प्रारंभ है।

यह कॉरिडोर राजस्थान के सीकर, रींगस, फुलेरा, ब्यावर, सिरोही से होकर गुजर रहा है। जिससे इन जिलों के साथ-साथ अन्य स्थानों के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। हाल ही में अजमेर के सराधना में नए गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। इस टर्मिनल में आधुनिक कार्गो हैंडलिंग अवसंरचना, वेयरहाउसिंग

- **राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच से लोकल बनेगा ग्लोबल**
- **जेएनपीटी से दादरी तक 1506 किमी. तक फैला कॉरिडोर, 1.24 लाख करोड़ रुपये की लागत से तैयार**
- **कॉरिडोर का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में, उत्तरी-पश्चिमी बाजारों तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध**

सुविधाएं तथा निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे उद्योगों एवं व्यापारियों के लिए माल परिवहन अधिक तेज, सुरक्षित एवं किफायती होगा। यह टर्मिनल प्रति माह लगभग 40 रेक (लगभग 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष) कार्गो हैंडल करने में सक्षम होगा, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट, खनिज तथा अन्य वस्तुएं शामिल हैं। यानि किशनगढ़ के मार्बल को कॉरिडोर के उच्च गति माल परिवहन नेटवर्क के माध्यम से जेएनपीटी, पीपावाव एवं मुंद्रा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा। इससे लोकल फॉर ग्लोबल का संकल्प साकार होगा।

यह कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करने के साथ ही माल परिवहन को तेजी से बढ़ाने की दीर्घकालिक पहल है। सामान्य कॉरिडोर की तुलना में 66 प्रतिशत वृद्धि के साथ इस कॉरिडोर की ऊंचाई 7.1 मीटर और 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ चौड़ाई 3660 एमएम रखी गई है। ट्रेन की लम्बाई 1500 मीटर है, जबकि सामान्य कॉरिडोर में 700 मीटर ही होती है। वहीं, डबल कन्टेनर स्टेक और 2.4 प्रतिशत ट्रेन लोड की क्षमता भी इस कॉरिडोर में उपलब्ध है। इस कॉरिडोर में ट्रेन की रफ्तार भी औसतन 25 किमी. से बढ़ाकर 65 किमी. प्रति घण्टे की गई है। उल्लेखनीय है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत दादरी से जीएनपीटी एवं पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत लुधियाना से डंकुनी तक जोड़ा गया है। यह परियोजना देश का लगभग 70 प्रतिशत माल परिवहन करने के उद्देश्य से बनाई गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

# सतीश पूनियां, अलका सिंह और नीरज डांगी बने निर्विरोध राज्यसभा सांसद

## 18 जून को प्रस्तावित मतदान की नहीं पड़ी जरूरत

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर ।** राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत तीनों प्रत्याशी गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका सिंह तथा कांग्रेस के नीरज डांगी को विधानसभा परिसर में निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग

- **विधानसभा में तीनों नेताओं को निर्वाचित प्रमाण पत्र सौंपे गए**

ऑफिसर एवं विधानसभा सचिव भारत भूषण शर्मा ने नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद तीनों प्रत्याशियों के निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा की।

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए केवल तीन उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके चलते मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को मतदान होना था, लेकिन सभी प्रत्याशियों के निर्विरोध

राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों पर डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अल्का सिंह व नीरज डांगी चुने गये।

चुने जाने से चुनाव प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो गई। इन सीटों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा था, उससे पहले ही नए सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कर लिया गया। नव निर्वाचित सांसदों का कार्यकाल जून 2032 तक रहेगा।

राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की संख्या अब भी भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबरी पर बनी हुई है। राजस्थान से राज्यसभा में भाजपा के मदन राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी, चुन्नीलाल गरासिया, डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका सिंह सदस्य होंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और नीरज डांगी राज्यसभा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्यसभा चुनावों के दौरान कड़े मुकाबले के चलते राजनीतिक दलों को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार विधानसभा में संख्या बल के आधार पर दो सीटों पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस की जीत पहले से तय मानी जा रही थी। अब राजस्थान में अगला राज्यसभा चुनाव जून 2028 में होगा, जब चार सीटों पर निर्वाचन कराया जाएगा। उस समय कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी तथा भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी का कार्यकाल समाप्त होगा।

# आबकारी विभाग के पुनर्गठन आदेश पर अंतरिम रोक

**जयपुर ।** राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के पुनर्गठन और आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के गठन से जुड़े राज्य सरकार के गत एक जून के आदेशों की क्रियांविति पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। वहीं राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है। अवकाशकालीन जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह निर्देश राजस्थान आबाकारी सेवा संघ की याचिका पर दिया।

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि यदि नए सेवा नियम बनाए बिना नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होती है तो इससे उन कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जो मौजूदा नियमों के तहत पदों पर कार्यरत हैं।

कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी स्थिति में वरिष्ठता, पदोन्नित और भर्ती से जुड़े कई जटिल विवाद पैदा हो सकते हैं। इससे न केवल कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे बल्कि विभाग में अनावश्यक कानूनी विवाद भी बढ़ सकते हैं।

# रेल मंत्री के कार्यक्रम में तीन बार गुल हुई बिजली

## 13 मिनट अंधेरे में बोले अश्विनी वैष्णव

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर ।** भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली व्यवस्था चर्चा का विषय बन गई। कार्यक्रम के बीच तीन बार बिजली गुल हुई, जिससे मीडिया हॉल में अंधेरा छा गया। एक बार बिजली करीब 13 मिनट तक नहीं आई, जिसके चलते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंधेरे में ही पत्रकारों को संबोधित किया। उस समय राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद वे हॉल से बाहर चले गए और बिजली बहाल होने पर वापस लौटे।

बिजली कटौती के बीच आयोजित मीडिया संवाद में अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और राजस्थान में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय राजस्थान को रेलवे के लिए केवल

- **भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया संवाद के दौरान बाधित हुई बिजली आपूर्ति**
- **ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बीच में हॉल से बाहर निकले**

682 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, जबकि वर्तमान में यह बढ़कर 10,828 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 76 हजार करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

कार्यक्रम से पूर्व अश्विनी वैष्णव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें जयपुर, गांधी नगर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और अलवर सहित कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद राजस्थान को 46 नई रेलगाड़ियां मिली हैं और अजमेर-जयपुर-दरभंगा रेल सेवा को नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य में कई रेल लाइन डबलिंग और नई रेल लाइन परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के लिए पांच बड़ी सौगातों की घोषणा करते हुए कहा कि एमएनआईटी जयपुर में क्वांटम लैब, सेमीकंडक्टर लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लैब स्थापित की जाएंगी।

इसके अलावा जयपुर में अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर और मेडिकल हब भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास के नए अवसर पैदा करेंगी तथा विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगी।

# बलात्कार के झूठे मुकदमे से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी

**जयपुर।** जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के दक्षिण जिले की पुलिस ने हनीट्रैप और झूठे मुकदमों के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर परिवादी और उसके परिवार से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। गिरोह ने पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे बंधक बनाया और ब्लैकमेलिंग का खेल चला रखा था।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रवि कुमार टांक (25) निवासी मदनबाड़ी, हरमाड़ा तथा एक महिला शामिल है। जांच में सामने आया कि रवि टांक ने महिला को नया मकान और रोजगार दिलाने का झांसा देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद दोनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर हनीट्रैप की साजिश रची।

पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने योजनाबद्ध तरीके से परिवादी को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद गिरोह ने दोनों का आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर लिया। वीडियो के आधार पर परिवादी को बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया।आरोपियों ने पहले परिवादी के परिवार से 3 करोड़ रुपए की मांग की। बाद में पीड़ित को सुनसान स्थान पर ले जाकर बंधक बनाया गया और उससे परिजनों को फोन कर तत्काल 2 लाख रुपए मंगवाए गए। जब परिवादी ने रकम देने से इनकार किया तो दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी रवि टांक के खिलाफ पहले भी हरमाड़ा थाने में आपराधिक मामला दर्ज है। इस प्रकरण में शामिल गिरोह के अन्य सदस्य दिलखुश उर्फ विलेन और अर्जुन हरिजन फिलहाल फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि जयपुर दक्षिण जिले में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जांच में 654 मामले झूठे पाए गए हैं। इनमें से 86 मामलों में झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले परिवादियों के खिलाफ धारा 217/248 बीएनएस के तहत न्यायालय में इस्तगासे पेश किए जा चुके हैं, जबकि अन्य मामलों में कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में है।

# प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज से लगेंगे 'ग्रामीण सेवा शिविर'

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए आमजन की समस्याओं के मौके पर त्वरित समाधान के निर्देश

**जयपुर ।** मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा एवं निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का आयोजन किया जाएगा। महा-अभियान के तहत राजस्व विभाग के अतिरिक्त 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। शिविरों का समय सप्ताह के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6 बजे तक (अथवा कार्य समाप्ति तक) रहेगा। मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशानुसार शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक का कार्य उसी दिन पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। यदि सायं 06:00 बजे तक कुछ कार्य अपूर्ण या लंबित रहते हैं, तो विभागवार उनकी सूची संधारित की जाकर समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर की शुरुआत से समाप्ति तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व विभाग को अभियान का नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों एवं खातों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, रास्तों संबंधी प्रकरणों का निस्तारण, नामांतरण (म्यूटेशन), सरकारी एवं चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, खातेदारी अधिकार प्रदान करने,

- **22 प्रमुख विभागों की सहभागिता से नागरिकों को मौके पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ**
- **प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा समय, लंबित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण होगा सुनिश्चित**

सीमाज्ञान, आबादी विस्तार एवं विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीबी-जी राम जी योजना का प्रचार-प्रसार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। तथा स्वयं सहायता समूहों के गठन,बैंक खाता खुलवाना और बैंक लिंकेज की प्रक्रिया को गति देगा। पंचायती राज विभाग स्वच्छता संबंधी कार्यों, आईएचएचएल की स्वीकृतियां,विमुक्त घुमन्तु एवं अद्धर्घुमन्तु श्रेणी के परिवारों को पट्टा वितरण, भूखण्ड आवंटन तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। वन विभाग द्वारा वन भूमि संबंधी प्रकरणों का निस्तारण एवं पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर एवं सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीबी जांच, टीकाकरण तथा आयुष्मान भारत कार्ड वितरण करेगा। पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसियां वितरित की जाएगी। ग्रामीण सेवा शिविर में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई,ट्रांसफार्मर एवं बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। जबकि कृषि विभाग किसानों को विभिन्न योजनाओं एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध कराएगा। आयोजना विभाग जनधन खाते, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं, अटल पेंशन योजना एवं जनआधार से जुड़े कार्य करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एनएफएसए से संबंधित लंबित प्रकरणों, ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग का निस्तारण करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग वितरण एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित कार्य किए जाएंगे।शिविरों में महिला एवं बाल विकास विभाग लाडो प्रोत्साहन योजना, काली बाई भील सम्बल उड़ान योजना, पन्नाधाय सुरक्षा एवं समान केन्द्र,मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह अनुदान योजना,वन स्टॉप सेन्टर,महिला हेल्पलाइन,शिक्षा सेतु,मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाएगा।

# जवाब मांगा

**जयपुर ।** हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे कर्मचारी को दिए गए वेतनमान और ग्रेड पे परिलाम की वसूली करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटा और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम प्रकाश नागर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

# फर्जी एम.टेक. डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी पाने वाला जलदाय विभाग का जेईएन दुर्गाशंकर मेनारिया गिरफ्तार

## आरोपित ने आरपीएससी भर्ती में स्वयं को अधिक योग्य दिखाने के लिए एम.टेक. की कूटरचित डिग्री प्रस्तुत की थी

-कार्यालय संवाददाता -

**जयपुर।** राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी शैक्षिणक दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए जलदाय विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेईएन) को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने आरपीएससी भर्ती में स्वयं को अधिक योग्य दिखाने के लिए एम.टेक. की कूटरचित डिग्री प्रस्तुत की थी। एसओजी ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित दुर्गाशंकर मेनारिया उदयपुर जिले की भीण्डर तहसील के वाना गांव का निवासी है। वह वर्तमान में जलदाय विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर भीण्डर क्षेत्र में कार्यरत है।

जांच में सामने आया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर द्वारा वर्ष 2018-19 में समूह अनुदेशक, सर्वेयर एवं सहायक शिक्षिता सलाहकार ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए केवल स्नातक की योग्यता निर्धारित थी, लेकिन आरोपी ने स्वयं को अधिक योग्य साबित करने के उद्देश्य से अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से वर्ष 2010 से 2012 के दौरान प्राप्त एम.टेक. (इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम) की डिग्री

दुर्गाशंकर मेनारिया

भी संलग्न कर दी।लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद आरपीएससी ने उसका चयन कर लिया और दस्तावेज सत्यापन के लिए अभिलेख प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर को भेजे गए।

दस्तावेजों की जांच के दौरान जब मानव भारती विश्वविद्यालय से एम.टेक. डिग्री का सत्यापन कराया गया तो विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि उक्त डिग्री आरोपी के नाम से कभी जारी ही नहीं की गई। जांच में डिग्री पूरी तरह फर्जी और कूटरचित पाई गई।

इसके बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने एसओजी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

एसओजी की पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने इसी कथित एम.टेक. डिग्री के आधार पर वर्ष 2015 से 2020 तक सिरोही जिले के पिंडवाड़ा स्थित माधव विश्वविद्यालय में सहायक तकनीकी अधिकारी के रूप में नौकरी की थी। वहां से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग भी उसने अपनी योग्यता और अनुभव दर्शाने के लिए किया था।एसओजी अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने फर्जी एम.टेक. डिग्री किस माध्यम से प्राप्त की, इसमें किसी दलाल, विश्वविद्यालय कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। साथ ही आरोपी की बी.टेक. सहित अन्य शैक्षिणक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन कराया जा रहा है।एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और फर्जी डिग्री रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।